देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

आदेश

देवघर जिले में नये समाहरणालय भवन निर्माण हेतु पहुंच पथ के लिए भू अर्जन हेतु कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, देवघर द्वारा मौजा–ब्रह्मपुर, थाना संख्या–586, अंचल–मोहनपुर, जिला–देवघर में रकवा–1.09 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण हेतु झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–03 के तहत् विहित प्रपत्र में अधियाचना समर्पित किया गया है।

अर्जनाधीन भूमि के भू धारियों द्वारा शीघ्र मुआवजा राशि की मांग की गयी है। साथी ही यह भी उल्लेख किया गया है कि एस० आई० ए० प्रक्रिया अपनाये जाने पर भू अर्जन की कार्रवाई में काफी विलम्ब होगा। इसलिए उक्त भू अर्जन प्रक्रिया को एस० आई० ए० से मुक्त रखने हेतु अपनी सहमति दी है एवं भू अधिग्रहण के एवज में निर्धारित मुआवजा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के लाभ के लिए दावा न करने का भी स्व–घोषणा पत्र दिया गया है।

चूँकि उक्त भूमि के भू अर्जन से कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है, भूमि आवासीय प्रकृति की नहीं है, भू अर्जन से किसी भी प्रकार का नाकारात्मक सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है, भू अर्जन हेतु संबंधित रैयत की सहमति भी प्राप्त है एवं एस० आई० ए० नहीं कराने से सरकारी राशि की बचत होगी एवं भू अर्जन प्रकिया में विलम्ब होने से बचा जा सकेगा एवं इससे भू स्वामी को मिलनेवाली राशि में एस० आई० ए० के बिना/साथ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उक्त परियोजना एक अतिआवश्यक लोकहित परियोजना की श्रेणी में है एवं रेखीय परियोजना है।

अतः झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–3(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम–05 के तहत् इस परियोजना को एस० आई० ए० कार्य से मुक्त करने का आदेश देते है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर को निदेश दिया जाता है कि तद्नुसार प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन संबंधी कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

ह०/-
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक....154/भू अ०, देवघर, दिनांक....4.वीं, ~~फरवरी~~ मार्च, 2017 ई०।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/17
उपायुक्त,
देवघर।